


Prakash

२५/११
२२

पञ्जाब की प्रान्त / कबील प्राची उपखण्ड /
कौशा उपखण्ड मंडल, राजा का तालाब
से रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल मिट्टी
की जमीन बहाल प्रा. पत्र जारी गइ।
वानर निर्णय प्रा. पत्र कांथा डिवाइड
ड०।।।।२ को पेश है।

Prakash

३०/११
२२

पञ्जाब की प्रान्त / कबील प्राची उपखण्ड /
पञ्जाब में संलग्न दान-तोकेजाट एवं कर्म
तथ्यों पर मनन किया गया। प्रकलण में
माननीय उपखण्ड (पुनर्वाह) राजा का तालाब
कौशा उपखण्ड जिला कांथा (वि.प्र.) रिपोर्टिबुतकिर
राज्य अत्रिलेन मुहाल कलनौट खात
के INDEX REGISTER कि थुमारी नं.-११२
एट माण्ड राम बलद लालिग राम दर्ज है व
इकी तल्ले जमावेंगी वर्ष १९५९  मुहाल
कलनौट खात के बाबा क्र.- ६३ में जोकि

उई अन्दराज हे उसमें श्री शर्मा के पिता का नाम माणू राम दई हे जिन्ही दादा श्री तंलग्न हे।

खरफ पर गहरना ते मनन किता जजा पञावपी में तंलग्न दादाके जट, शर्मा के दादा प्रचुर खपप पत्र के आचा पर शर्मा का शर्मा पत्र लीका किसे जाने केने होने के कावा लीका किता जाकर न्यापदित में शर्मा के पिता का नाम दुकाट किता खाना -प्रोपित शरीर होता है।

-: आदेश :-

इस विवेचन के आचा पर शर्मा का शर्मा पत्र लीका किता जाकर तहरीरगत अफाद को आरोपित किता जाता है कि पक - KSM के फांम सं. - 279/396 मुं. 20 प. 279/395 के मुं. - 13 के राजन्य दिमा में भारु राम पुत्र लालाराम के लान पर भारु राम उ माणू राम पुत्र लालाराम का अंकन के पञावपी निष्पुता दानित दफ्त होरा तारीख लकीर होरा नकर ले कर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/11/22 को जूले न्यायालय में सुनाया जाफ।

Priyanka
(प्रियंका तेलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ